प्र.सं. - 64/2023

नजरी नक्शा ग्राम-बड़गांव

जसवंतसिंह व अन्य

[illegible]

राज० [illegible] व अन्य

धारा - 136 LR. Act

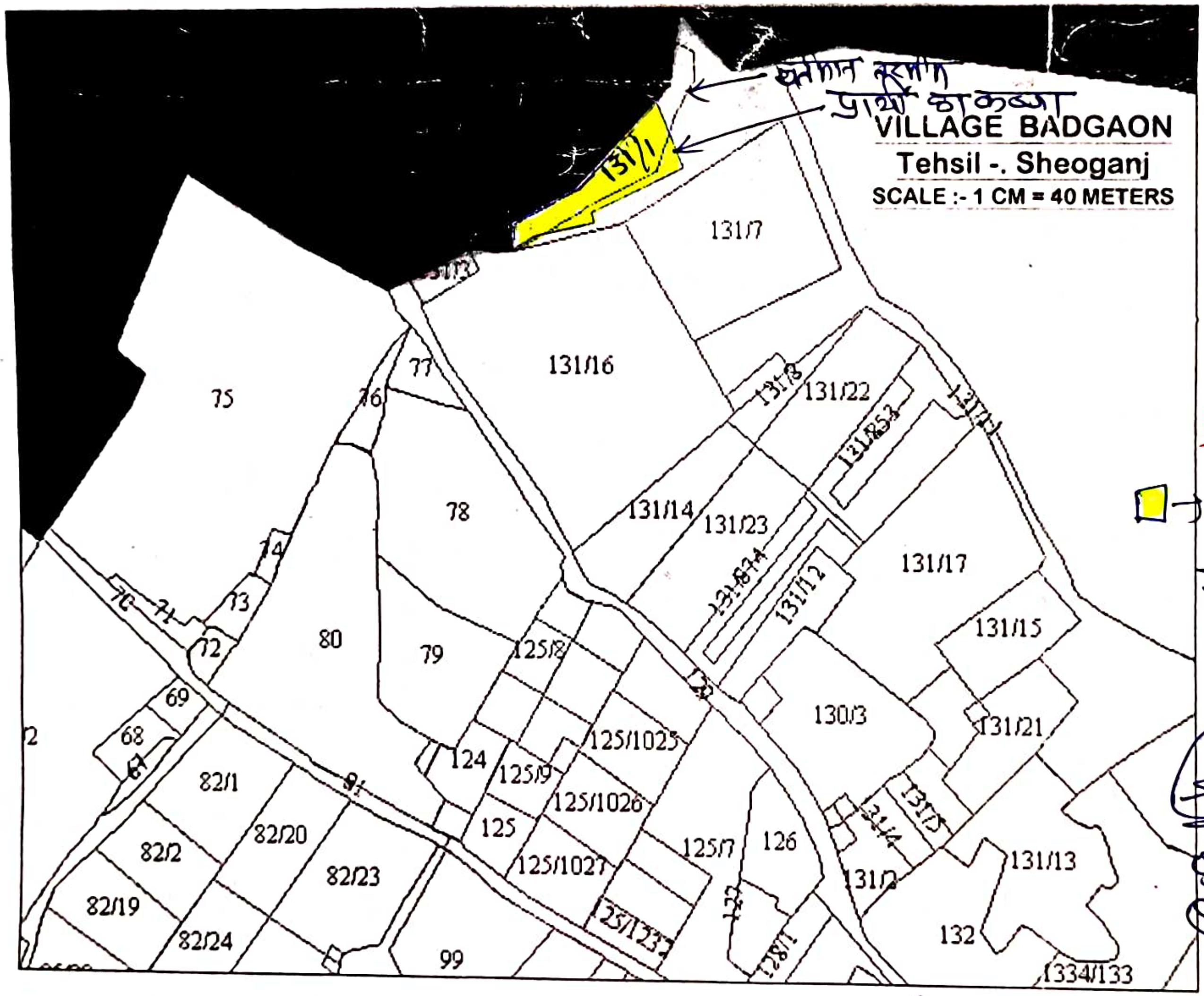

[illegible] 131/1 [illegible] रंग से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 12:02:27 IST
Reason: SelfAttested

03/05/2023
ग्रा.-बड़गांव

C.S.

तहसीलदार, शिवगंज
(जिला-सिरोही)

C.S.

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

अज अदालत लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

बइजलास डॉ.नरेश सोनी, आर.ए.एस

प्रार्थी		अप्रार्थी
1.जसवंतसिंह पुत्र भोमसिंह जाति राजपूत निवासी सिरोही 2.नारायणलाल पुत्र समाजी जाति माली निवासी शिवगंज 3.ईन्द्रादेवी पत्नी प्रभुसिंह जाति राजपूत निवासी अणगौर 4.सुल्ताना पुत्री मेहबूबखां जाति मुसलमान निवासी शिवगंज जरिये आम मुख्तियारनामा धारक असलम खान पुत्र यासीन खांजी निवासी शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	1.राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज 2.अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 आसिफ		विद्वान अधिवक्ता श्री महेश अग्रवाल

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वाद संख्या 64/2023

—:आदेशः—

दिनांक 08.11.2023

उक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थीगणों ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगणों के पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगणों के कब्जे एवं खातेदारी की कृषि आराजी मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव भूअभिलेख निरीक्षक शिवगंज तहसील शिवगंज में स्थित सींव में खसरा नम्बर 131/1 रकबा 0.2428 हेक्टेयर भूमि किस्म वरडा आई हुई स्थित हैं तथा खातेदारान द्वारा प्रार्थी असलम खान को इस खातेदारी भूमि के संबंध में समस्त प्रकार की कानूनी कार्यवाही इत्यादि के संचालन हेतु जरिये आम मुख्तियारनामा दिनांक 29.07.2013 के अधिकृत किया हुआ है। जिससे बहैसियत आम मुख्तियारनामा धारक असलम खान द्वारा यह प्रार्थनापत्र बविरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के पडौस में ही अप्रार्थी संख्यां 2 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 131/11 रकबा 1.0926 हेक्टयर किस्म वरडा स्थित है। जिस भूमि में से 0.0650 हेक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है एवं प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 131/1 में 0.0650 हैक्टयर भूमि जो खाली पडी है तथा गलत तरमीम हो जाने से प्रार्थीगण की खसरा नं0 131/1 की भूमि में से 0.0650 हेक्टयर भूमि खसरा नं0 131/11 में तरमीम हो गयी तथा अप्रार्थी सं0 2 की खसरा नं0 131/11 की भूमि में से 0.0650 हेक्टयर भूमि प्रार्थीगण के खसरा नं0 131/1 में तरमीम हो गयी है जबकि प्रार्थीगण का कब्जा खसरा नं0 131/11 की 0.0650 हेक्टयर कृषि भूमि में चला आ रहा है तथा अप्रार्थी सं0 2 की खाली कृषि भूमि खसरा नं0 131/11 में से 0.0650 हेक्टयर भूमि प्रार्थीगण की कृषि भूमि 131/1 में गलत तरमीम हो गयी है। गलत तरमीम की जानकारी होने पर प्रार्थीगणों द्वारा खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अप्रार्थी सं0 1 द्वारा की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2023 में उक्त तरमीम गलत होना माना गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि खसरा नं0 131/1 की भूमि में 0.0650 हेक्टयर भूमि पर अप्रार्थी सं0 02 का कब्जा चला आ रहा है जो भूमि खुली पडी है एवं अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि खसरा नं0 131/11 की कृषि भूमि में से 0.0650 हेक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की ऑनलाईन फिडिंग किये जाते समय खसरा कब्जे के विपरित दर्ज हो गये है जिसका राजस्व नक्शें में शुद्धीकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों से जवाब चाहा गया है जिस पर अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार शिवगंज ने जवाब में मय साक्ष्य दस्तावेजो एवं मौका जांच अनुसार मौजा बडगांव तहसील शिवगंज के खसरा नं0 131/1 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि सहखातेदारों की आई हुई है। उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थीगण अपने स्वअर्जित खरीद पर मौके पर काबिज है। जांच अनुसार ऑन लाईन नक्शे अनुसार खसरा नं0 131/1 रकबा 0.2428 हेक्टयर भूमि की तरमीम का आंशिक भाग सही नहीं है। जिसे राजस्व नक्शे में प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम शुद्धिकरण किया जाना उचित बताया गया है। तथा अप्रार्थी सं0 2 अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका शिवगंज के जवाब अनुसार भी प्रार्थना पत्र के पद सं0 4 को स्वीकार किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 12:02:27 IST
Reason: SelfAttested

प्र0सं0 64/2023
जसवंतसिंह बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

दिनांक 08.11.2023 को प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता व स्टेट की और से तहसीलदार शिवगंज होकर प्रार्थना पत्र पर बहस की, जिसे सुना गया। अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता व तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित राजस्व नक्शें में तरमीम शुद्ध किये जाने को उचित बताया है। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार शिवगंज को प्रस्तावित नक्शे अनुसार **मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 131/1 रकबा 0.2428 हैक्टयर भूमि** की तरमीम प्रस्तावित नक्शा अनुसार शुद्धी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। **स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

यह आदेश आज दिनांक 08.11.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान)

(डॉ. नरेश सोनी, R.A.S)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

क्रमांक 758
8/11/2023

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 12:02:27 IST
Reason: SelfAttested